

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
अजमेर।

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र
(राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 धारा 138)

Court
10/6/23

विषय :- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम आवंता पटवार मण्डल आवंता
भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र हल्का 11 तहसील अजमेर की जमाबंदी संवत् 2041 खाता
सं० 162 में पतिन/चैतन्य वन कृपाल सिंहा सहित, चैन कंवर
पतिन देवेंद्र सिंह सिंहा 852 1/2 सिंहा फुकेर अंकन है। जबकि जमाबंदी संवत्
2021-22 के खाता संख्या 162 में चैन कंवर पतिन देवेंद्र सिंह सिंहा 852
चैन कंवर पतिन देवेंद्र सिंह सिंहा 852 अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी
में बिना किसी आधार के गलत अंकन हो गया। अतः जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी सं० _____ के अनुसार दुरुस्ती
करने की कृपा करावे।

दिनांक _____

संलग्न-

सिंहा
वसिष्ठ
852 - 08-15-00

हल्का
1790-0.03
1791-0.02
3520-0.02
1753-0.02
3521
1754-0.07
1755-0.22
1801/3522-0.07

प्रार्थी
चैन कंवर
पता ग्राम आवंता
मो० न० 9414949646

जांच रिपोर्ट हल्का पटवारी/भू-अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार

उपरोक्त प्रार्थना पत्र की जांच की गई कि उक्त अंकन 1790, 1791, 3520, 1753/3521, 1754, 1755, 1801/3522 पर चैन कंवर अंकन दर्ज है जो गलत है।
अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन 1801/3522 सिंहा 852 अंकन दर्ज है जो गलत है।
सिंहा 852 अंकन दर्ज है जो गलत है।

दुरुस्त किये जाने की अनुराधा की जाती है।

53
10/06/23

हस्ताक्षर पटवारी
10/6/23

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर तहसीलदार
अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

तहसीलदार, अजमेर

ब्रमांक उखअ/राजस्व/शिविर/21/प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

दिनांक- 10/6/23

तथा पक्षधारण की सहमति के बजाय 00 आदेश 00

रिपोर्ट व अनुराधा पटवारी हल्का आवंता भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराधना तहसीलदार
अजमेर के आधार पर ग्राम आवंता पटवार मण्डल आवंता भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अराधना
तहसील अजमेर की जमाबंदी के खाता सं 162 खसरा नम्बर अराधना

पर नवीन अंकन राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1958 की धारा 138 के अन्तर्गत दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जो है।

तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकॉर्ड का मिलान/जांच एवं मा. न्यायालय में वाद विचाराधीन एवं स्थगन आदेश की पूर्ण जानकारी करने के परवाह ही रिकॉर्ड में अमल दरामद करावे।

चैन कंवर 10/0 देवेंद्र सिंह सिंहा 1/2, इन्दुपाल सिंह पुत्र अमर सिंह सिंहा 1/2
सिंहा 852 अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
शिविर प्रमारी
मंहगाई राहत कॅम्प
प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

खाता दुरुस्ती आवेदन पत्र
(रा.का.प्र.का.री अधिनियम 1956 धारा 88)

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
अजमेर।

Court
10/6/23

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम गोवला पटवार मण्डल गोवला भू अगिलेख
निरीक्षण क्षेत्र सरायना तहसील अजमेर की जमाबंदी रावत 2072-75 खाता सं. 618 में
पप्पू पुत्र शंकर शिंदे 1/4 लाडि कुलकर्णी की जमाबंदी रावत
अंकन है। जब कि जमाबंदी रावत अब्बास कर्ण
के खाते सं. 830139385815 में हमीद कली पुत्र शंकर शर्मा

अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी आदार के गलत अंकन हो गया। अतः
जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी रा. के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

दिनांक 19/6/23

सालम :

हमीद कली
प्राथी
पता हमीद कली गोवला

कार्यालय तहसीलदार (भ.अ.) अजमेर
क्रमांक/भू.अ. 2023 660 10/6/23
जाम शिफर्ट हल्का पटवारी/भू अगिलेख निरीक्षण/तहसीलदार

मो न

उपरोक्त धारणा पत्र की जांच की गई कि सुबानिक आपल थर खाते सं. BL-687927

हमीद कली पुत्र शंकर शर्मा के खाते पर राजस्व रिकार्ड के अंकन में परिवर्तन का
दिया जाना उचित है। अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन

दुरुस्त करने की अनुराधा की जाती है।

हस्ताक्षर
10/6/23
हस्ताक्षर पटवारी

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर भू अगिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर
हस्ताक्षर तहसीलदार

न्यायालय-उपखण्ड अधिकारी अजमेर

क्रमांक/उपखण्ड/राजस्व/शिपिर/21/ 20 प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

दिनांक: 10/6/23

-- आदेश --

रिपोर्ट व अनुराधा पटवारी हल्का गोवला भू अगिलेख निरीक्षण क्षेत्र सरायना य तहसीलदार
अजमेर के आदार पर ग्राम गोवला पटवार मण्डल गोवला भू अगिलेख क्षेत्र सरायना तहसील
अजमेर की जमाबंदी के खाता सं. 2072-75 खाता सं. 618 पर नवीन अंकन राजस्थान
भू कायदाकारी अधिनियम 1956 की धारा 88 के अन्तर्गत दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अजमेर को निर्देशित किया
जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का गिलान/जांच एव वा न्यायालय में धाद विचारधीन एव स्थगन आदेश की पूर्ण
जानकारी करने के पश्चात् ही रिकार्ड में अंकन दरागद कराये।

(पप्पू पुत्र शंकर के खाते पर पप्पू उर्फ हमीद कली पुत्र शंकर के)

हस्ताक्षर
उपखण्ड अधिकारी, अजमेर
10/6/23
उपखण्ड अधिकारी एवं
शिपिर प्रभारी

प्रशासन गाँवों के संग अभियान-2023

खाता दुरुस्ती आदेश पत्र
(रा कारतकारी अधिनियम 1958 धारा 88)

Court

10/6/23

श्रीमान उपखण्ड अधिकारी गहोदय
अजमेर।

विषय राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती करवाने बाबत।

गहोदय,

उपरोक्त विषयानर्गत निवेदन है कि ग्राम भांवता पटवार गण्डल भांवता ग्राम अगिलेख
निरीक्षक क्षेत्र भांवता तहसील अजमेर की जमाबंदी सूची 2072-75 खाता नं. 104 में आपू डूकी
पुत्री आसु जाति रेवारी

के खाता नं. आपू डूकी के आपू डूकी अंकन है। जब कि जमाबंदी सूची आपू डूकी
के खाता नं. आपू डूकी के आपू डूकी

जमाबंदी में पूर्व जमाबंदी से अंकन दर्ज था। उक्त अंकन वर्तमान जमाबंदी में बिना किसी अन्वय के गलत अंकन हो गया। अतः
के अनुसार दुरुस्ती करने की कृपा कराये।

दिनांक _____

पता _____

सालन : _____

मो न _____

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अजमेर
क्रमांक/भू.अ./2023/662 दिनांक 10/6/23

उपरोक्त प्रार्थना पत्र ली जाय की गई कि कुशाबेक सपन अत्र अंकन BN 556547
राजाय रिकार्ड के खाता नं. 104 के आपू डूकी पुत्री आसु डूकी है एवं डूकी
आपू डूकी आपू डूकी अंकन दर्ज है जो गलत है। अतः उक्त अंकन के स्थान पर नवीन अंकन आपू डूकी
आपू डूकी आपू डूकी अंकन दर्ज किया गया।

हस्ताक्षर पटवारी
10/6/23

हस्ताक्षर ग्राम अगिलेख निरीक्षक

हस्ताक्षर तहसीलदार
तहसीलदार, अजमेर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर
प्रशासन गांवों के संग अभियान-2023

क्रमांक:उखअ/राजसव/शिधिर/21/

दिनांक _____

-- आदेश --

रिपोर्ट व अनुशासक पटवारी हलका भांवता ग्राम अगिलेख निरीक्षक क्षेत्र सराथनी व तहसीलदार
अजमेर के आन्तर पर ग्राम भांवता पटवार गण्डल भांवता ग्राम अगिलेख क्षेत्र सराथनी तहसील
अजमेर की जमाबंदी के खाता नं. 104 खसरा नम्बर 33, 35, 36, 37 पर नवीन अंकन राजस्थान
भू कारतकारी अधिनियम 1958 की धारा 80 के अन्तर्गत दुरुस्ती करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार अजमेर को निर्दिष्ट किया
जाता है कि आदेश की पालना करने से पूर्व रिकार्ड का गिलान/जाब एव गा. न्यायालय में याद विचारशील एव रथगन आदेश की पूर्ण
अनुपालना करने के पश्चात ही रिकार्ड में अगल दरगदद कराये।

(आपू डूकी) आपू डूकी के खाता नं. आपू डूकी के आपू डूकी
आपू डूकी आपू डूकी आपू डूकी आपू डूकी

उपखण्ड अधिकारी, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
शिधिर प्रशासक
मंडगाई राहत केंद्र